



भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर
दूसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट-विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005

फोन- 0771--2282530/2285590/95 [मेल- ro.raipur@ibm.gov.in](mailto:ro.raipur@ibm.gov.in)

No- CHG/DRG/LST-41/RPR

दिनांक:02/03/2022

प्रेषित- श्री रजत प्रसूती, नामित मालिक,
सर्वश्री सिंघानिया मिनेरल्स प्राइवेट लिमिटेड,
द्वारा ए सीसी लिमिटेड,
जामुल सीमेंट वर्क्स,
पोस्ट-जामुल, जिला-दुर्ग,
छत्तीसगढ़-490024 ईमेल: rajatkumar.prusty@acclimited.com &
Sanjaykumar.sharma@acclimited.com

छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपकी मेडेसरा चूना पत्थर खदान 17.90 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 23.02.2022 by undersigned accompanied by Shri Sanjay Sharma, Mining Engineer & Shri Mallishi Kadlimati, Mining Geologist.

Rule	Nature of Violation observed
11(1)	<p>Mining operations should have been undertaken in accordance with the approved Mining Plan. The Modified Mining Plan was approved vide letter no. दुर्ग/ चूप /खयो-1180/2018-रायपुर dated 11.12.2018 and following deviation was observed during inspection</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The mining operation is not carried out as per proposal and as per proposal the bench width to be maintained 15 meter but during mine visit it was observed that in many benches width not maintained as per proposal and many place under cut and overhang boulders observed. 2. During mine visit it was observed that limestone boulders are scattered in mine benches and some places boulders has been kept at the edge of mine benches which is against the systematic and scientific development. 3. There is huge gap of proposal and achievement of Limestone production, proposal is given for 87813 tonns, whereas achievement is only 2053.24 tonns in 2020-21 which is 2% of proposal. 4. There was proposal of backfilling in 7.5 meter safety barrier zone between BP23-BP25 but the same was not done.
45(5) (c)(i)	<p>While scrutiny of Annual returns 2020-21 it was observed that The Ex-mine price is given as Rs 2494.05/ton which is very high as compared to ASP.</p>

2 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवम 45(7)(क) के अंतर्गत

- क) खान की सारी खनन संक्रियाएँ बंद की जा सकती हैं।
ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग)खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।

- 3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनो का अतिशिघ्र सुधार करे एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भितर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(राजेश कुमार दास)

उप खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि – for information please

- 1 श्री वैभव दिक्षित, एजेंट खान, सर्वश्री सिंघानिया मिनेरल्स प्राइवेट लिमिटेड, ए.सी.सी। जामुल सीमेंट वर्क्स, जिला दुर्ग (छ.ग.)-490024
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ

उप खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि – for information please

- 1 खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , नागपुर
- 2 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर